कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45005/स्थानान्तरण– पदस्थापन/2022 दिनांक 28.11.2022 द्वारा श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि माण्डलगढ, जिला भीलवाडा का स्थानान्तरण राउमावि बामनवाडी, पहाडी कामां जिला भरतपुर किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री पवन कुमार शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 18531/2022 पवन कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2022 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा याचिकार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के स्थानांतरित स्थान के 555 कि.मी. दूर होने तथा पत्नी के अध्यापक पद पर भीलवाडा जिले में कार्यरत होने के के आधार पर अपना पदस्थापन पुनः राउमावि रूपाहेली, सुवाणा जिला भीलवाडा में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किए जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 14.07.2022 के अनुसार माता–पिता/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री एवं अन्य परिजनों के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। जहां तक याचिकार्थी को दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का प्रश्न हैं तो इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू. एल.सी. 2007(2) 276 में अवधारित किया गया है कि **"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he\she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rules."** राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है किसी भी लोकसेवक को जो हस्तान्तरणीय पद पर कार्यरत है, एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी द्वारा किये गए स्थानान्तरण आदेश से उसके विधिक अधिकारों या सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। याचिकार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/ प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता हैं। उक्तानुसार याचिकार्थी श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/पवन कुमार/18531/2022/02 दिनांकः 24.01.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/अजमेर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर/भीलवाडा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक भरतपुर/भीलवाडा।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर